सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 228/2024

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

सानुली पत्नी श्री पवन कुमार जाति जाट निवासी 2 एस.एन.जी. ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीया

बनाम्

1. पवन कुमार पुत्र श्री प्रीतपाल जाति जाट निवासी तेजाखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा(हरि.) हाल आबाद 2 एस.एन.जी. ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 31.5.24

वादीया सानुली ने प्रतिवादीगण पवन कुमार वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादीया का पति है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीया के पति प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एस.एन.जी. के खाता सं. 53/36 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 2.680 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीया का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीया व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीया व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं:–

(क) **वादीया सानुली पत्नी श्री पवन कुमार जाति जाट निवासी 2 एस.एन.जी. ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः–**

तहसील संगरिया के चक 2 एस.एन.जी. के खाता सं. 53/36 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 2.680 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 1.340 है. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 1 पवन कुमार पुत्र श्री प्रीतपाल जाति जाट निवासी तेजाखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा(हरि.) हाल आबाद 2 एस.एन.जी. ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः–**

तहसील संगरिया के चक 2 एस.एन.जी. के खाता सं. 53/36 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 2.680 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 1.340 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वा[illegible] एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें [illegible] हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीया खाते[illegible] काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं हकदार है। यह कि [illegible] पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीया का हित एवं [illegible] निहित है। वादीया ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीया खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 टाल मटोल करता रहा, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गया। बस यही वाद कारण है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 09:50:
Reason: SelfAttested

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादीया के द्वारा तहसील संगरिया के चक 2 एस.एन.जी. के खाता सं. 53/36 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादीया में वादीया का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीया एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ने सहमति का जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीया ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीया के पति प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एस.एन.जी. के खाता सं. 53/36 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 2.680 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादीया व प्रतिवादी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि वादीया के पति प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एस.एन.जी. के खाता सं. 53/36 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 2.680 है. कृषि भूमि में से वादीया को 1/2 हिस्सा अर्थात् 1.340 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.5.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी (स्व),
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 09:50:00
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 228/2024

...बुली पत्नी श्री पवन कुमार जाति जाट निवासी 2 एस.एन.जी. ढ़ाबां तहसील संगरिया ...ला हनुमानगढ़(राज.)

\- वादीया

बनाम्

...बन कुमार पुत्र श्री प्रीतपाल जाति जाट निवासी तेजाखेड़ा तहसील डबवाली जिला ...रसा(हरि.) हाल आबाद 2 एस.एन.जी. ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) ...हसीलदार(राजस्व) संगरिया।

\- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 31.5.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना**(आर.ए.एस.) के समक्ष ...स्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादी मिन जामिन ...दई **श्री महावीर बेरड़** वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम ...या जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादीया के पति प्रतिवादी सं. 1 के नाम से ...हसील संगरिया के चक 2 एस.एन.जी. के खाता सं. 53/36 जमाबन्दी सम्वत् ...071-74 में 2.680 है. कृषि भूमि में से वादीया को 1/2 हिस्सा अर्थात् 1.340 ... कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया ...

...नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद ...मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ......X...... निल ......X...... मुब्लिक ......X......निल ......X...... बाबत् ......X...... निल......X...... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ......X......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 31.5.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 09:50:0
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official